न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–प्रियंका तलानिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः–02/2020

1. अर्जनराम पुत्र भादरराम
2. प्रेमरतन पुत्र भादरराम
3. लाधुराम पुत्र भादरराम

   अकवाम खाती निवासीगण 4 आर टी एम तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर

–– प्रार्थीगण

बनाम्

1. उमाराम पुत्र कालुराम
2. मनफुलराम पुत्र कालुराम
3. बीरबलराम पुत्र कालुराम
4. हेतराम पुत्र धर्माराम
5. कृष्ण पुत्र धर्माराम

   अकवाम नायक निवासी चक 71 जीबी मोघी तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(राजस्व), अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर

–––अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

::निर्णय:: **दिनांकः–03.11.2022**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वाके चक 71 जीबी तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं.–16 पत्थर नं.–260/431 का किला नं.–1 का 0.253, 2 का0.253, 3 का 0.126, 8 का 0.127, 9 का 0.253, 10 का 0.253, 11 का 0.253, 12 का 0.253, 13 का 0.126, 18 का 0.126, 19 का 0.253, 20 का 0.253, 21 का 0.253, 22 का 0.253, 23 का 0.126 कुल 3.160 हैक्टर खातेदारी कृषि भूमि है उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गणेशा पुत्र पूर्ण जाति नायक के नाम से बतौर खातेदार दर्ज है खातेदार गणेशा पुत्र पूर्ण का देहान्त हो चुका है तदुपंरात उक्त कृषि भूमि अनावेदकगण के अधिकार अधिपत्य व कब्जा काश्त मे है इसलिए आवेदन पत्र में अनावेदकगण को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। चक 4 आरटीएम का मुरब्बा नं.–43 पत्थर सं.–260/431 मे उमाराम, मनफुल[illegible] कालुराम, हेतराम कृष्ण पिसरान धर्माराम अकवाम नायक निवासी 71 जीबी मोघी [illegible] के अधिकार व अधिपत्य की कृषि भूमि की उक्त कुल 3.160 के किला नम्बर [illegible] 2,23 प्रत्येक में से 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है जो स्वीकृत किया जावे। [illegible] गया रास्ता स्वीकृत होने से आवेदकगण अपनी खातेदारी कृषि भूमि में आ जा सकेगे तथा जो रास्ता आगे आबादी 71 जीबी मोगी मे जाने वाले रास्ता आम से जुड जाएगा जिससे आवेदकगण अपनी कृषि भूमि मे आसानी से आवागमन कर सकेगे। उक्त रास्ता पूर्व मे पिछले काफी समय से चालू है लेकिन अनावेदकगण उक्त चले रहे रास्ता से अनावेदकगण का आवागमन बाधित करने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2022.12.19 11:00:07 IST
Reason: SelfAttested

प्रयासरत है। आवेदकगण की उक्त भूमि मे आने जाने के लिए विद्यमान मे कोई मार्ग नही है। आवेदनगण द्वारा चाहा गया मार्ग लघुतम, सबसे छोटा व सुगम रास्ता है जिसकी आवेदकगण को अत्याजिक आवश्यकता है। जिसके लिए आवेदकगण नियमानुसार अवधारित प्रतिकर संदय करने को तैयार है। आवेदकगण ने अपनी उक्त कृषि भूमि मे के लिए उक्त अनावेदकगण उमाराम, मनफुलराम, बीरबलराम, हेतराम व कृष्ण से अरसा दस दिन पूर्व नया मार्ग बनाने/स्वीकृत करवाने के लिए आग्रह किया तो वह स्पष्ट इंकार हो गये इसलिए आवेदन पेश है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण ओर से अधिवक्ता श्री हरेन्द्रसिंह सैंखो ने वकालतनामा पेश कर जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने प्रकरण में राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार दर्ज खातेदार गणेशा पुत्र पूर्ण अथवा उसके वारिसान को पक्षकार नही बनाया। प्रार्थीगण की भूमि चक 4 आरटीएम मे पड़ती है और अप्रार्थीगण की भूमि चक 71 जीबी में पड़ती है प्रार्थीगण के निवास चक 4 आर.टी.एम. आबादी में बने हुए है जहां पर उनके प्लॉट भी है। प्रार्थीगण अपनी आवश्यकताओं हेतु 4 आरटीएम आबादी में ही आते जाते है। चक 71 जीबी की आबादी जो कि हम अप्रार्थीगण की कृषि भूमि के साथ चिपती है, में प्रार्थीगण की ना तो रिहायश है व ना ही कोई प्लॉट है। चकबंदी के अनुसार प्रार्थीगण अपने चक की आबादी में आने जाने हेतु ही अपने चक की भूमि में से रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है। मौका पर कोई रास्ता चालू नही है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गऐ रास्ते से उनके गुजरने का कोई प्रयोजन नही है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि के पूर्व दिशा मे पत्थर सं. –259/431 है जिसके साथ चिपते हुए पूर्व दिशा मे रास्ता आम है जो कि चक 4 आरटीएम आबादी को जाता है। प्रार्थीगण को उपरोक्त पत्थर नं.–259/431 की भूमि में से रास्ता प्राप्त करने का अधिकार है।

अतिरिक्त कथन मे निवेदन किया कि हम अप्रार्थीगण की कृषि भूमि की बाबत अतिरिक्त जिला कलेक्टर सूरतगढ के यहां प्रकरण लंबित है जिससे हम अप्रार्थीगण के हितों का निपटारा होना है। उक्त प्रकरण के दृष्टिगत यह प्रकरण पोषणीय नही है।

तहसीलदार अनूपगढ़ द्वारा मौका रिपोर्ट में मुताबिक रिकॉर्ड जमाबंदी के चक 71 जीबी के पत्थर नं.–260/431 की कुल 3.160 हैक्टर नहरी गणेशाराम पुत्र पुरण कौम नायक के नाम से गैर खातेदारी रकबा है। उक्त रकबे की जमाबंदी में बेचान व रिमांड प्रकरण संबंधी पेंसिल से नोट लगा। प्रार्थीगण का रकबा चक 4 आरटीएम [illegible] चक 71 जी बी आबादी मे आने जाने हेतु जो उन्होंने रास्ता की मांग की [illegible] है लेकिन चक 4 आरटीएम में निकटतम रास्ता कौनसा पड़ेगा ये तो चक 4 आर[illegible] भू. अ. निरीक्षक रामसिंहपुर ही बता सकते है। चक 71 जीबी का पत्थर नं.–260/431 का 3.160 हैकटर रकबे का श्रीमान् एडीएम, सूरतगढ़ के यहां रिमांड प्रकरण जेरकार है बताया गया है। चक 71 जीबी के पत्थर नं.–260/431 के किला नं.–21,22,23 में चालू रास्ता नही है मौके पर रबी की फसल काश्त है। मुताबिक भू. अ. निरीक्षक रिपोर्ट रामसिंहपुर प्रार्थीगण द्वारा पत्थर नं. –260/431 के किला नं.–21,22,23 जो चक 71 जीबी में स्थित है ये 2–2 बिस्वा रास्ता चाहा

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2022.12.19 11:40:07 IST
Reason: SelfAttested

गया है जो प्रार्थीगण के खेत से लद्युतम स्थिति में है शेष प्रार्थी के आस पास के मुरब्बा नं. रास्ता नही हैं।

तदुपरांत बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वांछित रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया तथा यह भी निवेदन किया कि भू–अभिलेख निरीक्षण द्वारा प्रार्थी की भूमि के कोई मार्ग विद्यमान नहीं होने एवं वांछित मार्ग अत्यान्तिक आवश्यकता का, लघुत्तम व सुगम होने की रिपोर्ट दी है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर वांछित मार्ग स्वीकृत किया जावे।

वकील अप्रार्थीगण ने मालिकाना हक नही होने व चकबंदी के अनुसार प्रार्थीगण अपने चक की आबादी में आने जाने हेतु ही अपने चक की भूमि में से रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है। तथा मौका पर कोई रास्ता चालू नही होने के कारण रास्ता निरस्त करने का निवेदन किया।

अंततः उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत किसी खातेदार द्वारा अन्य खातेदारों की जोत में से नया मार्ग कायम किया जा सकता है। प्रार्थीगण ने प्रकरण में वर्णित भूमि में राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार दर्ज गणेशा पुत्र पूर्ण अथवा उसके वारिसान को पक्षकार नही बनाया है एवं उक्त भूमि के संबंध में प्रकरण अन्य न्यायालय में जैरकार है। उक्त तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

::आदेश::

अतः प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज.काश्त. अधिनियम 1955 को स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। चूंकि प्रार्थीगण की कृषि भूमि के लिए कोई रास्ता स्वीकृत नही है अतः प्रार्थीगण चाहे तो किसी अन्य खातेदार कृषक की खातेदारी कृषि भूमि में से रास्ता कायम करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 03.11.2022 को सरे इजलास सु...

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2022.12.19 11:00:07 IST
Reason: SelfAttested

(प्रियंका तलानिया)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

(प्रियंका तलानिया)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़